राजस्थान सरकार

# वार्षिक प्रतिवेदन

# 2018-2019

## ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

## राजस्थान, जयपुर

# राजस्थान सरकार

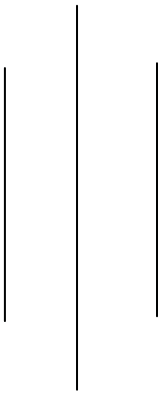

## वार्षिक प्रतिवेदन
## 2018-2019

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
राजस्थान, जयपुर

# अनुक्रमणिका


| विषय सामग्री | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| **ग्रामीण विकास** | |
| पृष्ठभूमि | 1 |
| योजनाओं का उद्देश्य एवं संक्षिप्त विवरण | 1 |
| वर्ष 2018–19 के अभिनव प्रयास एवं मुख्य उपलब्धियां | 2 |
| उपलब्धियां–एक नजर में | 7 |
| **(अ) केन्द्र प्रवर्तित योजनाऐं** | |
| राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका विकास परिषद | 8 |
| महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना | 12 |
| प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण | 17 |
| सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम | 21 |
| सांसद आदर्श ग्राम योजना | 24 |
| सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम | 27 |
| श्यामाप्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) | 29 |
| डी.आर.डी.ए. प्रशासन योजना | 33 |
| **(ब) राज्य प्रवर्तित योजनाऐं** | |
| विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम | 36 |
| मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना | 51 |
| गुरू गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना | 58 |
| स्व–विवेक जिला विकास योजना | 61 |
| डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम | 64 |
| मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम | 67 |
| मेवात क्षेत्रीय विकास योजना | 70 |
| श्री योजना | 73 |
| स्मार्ट विलेज | 79 |
| **(स) केन्द्रीय/बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना** | |
| मिटीगेटिंग पावर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान (एमपॉवर) | 82 |
| बायोफ्यूल प्राधिकरण | 88 |
| **(द) निगरानी तंत्र** | 92 |
| **(य) इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान** | 96 |
| बीपीएल सेंसस 2002 | 113 |
| राज्य ग्रामीण बी.पी.एल. सूची | 114 |
| सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC-2011) | 115 |
| सामाजिक अंकेक्षण | 119 |
| अरावली | 122 |

| | | |
|---|---|---|
| **पंचायती राज** | | |
| I राजस्थान में पंचायती राज संस्थाऐं एक दृष्टि में | | 129 |
| II पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढीकरण | | 129 |
| III सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक का पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने में उपयोग | | 134 |
| IV पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों/अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण | | 135 |
| V जनप्रतिनिधियों की जाँच | | 135 |
| VI वित्तीय प्रबन्धन | | 136 |
| 1. अंकेक्षण एवं विशेष लेखा जाँच | | 138 |
| 2. महालेखाकार अंकेक्षण आक्षेपों के निस्तारण की प्रगति | | 138 |
| 3. स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के आक्षेपों के निस्तारण की प्रगति | | 138 |
| **VII पंचायती राज की योजनाएं** | | |
| 1. चौदहवां वित्त आयोग | | 139 |
| 2. राज्य वित्त आयोग –पंचम | | 142 |
| 3. रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड का आवंटन | | 146 |
| 4. नवीन ग्राम पंचायत कार्यालय भवन निर्माण | | 147 |
| 5. नवीन पंचायत समिति कार्यालय भवन | | 148 |
| 6. यूरोपीयन संघ राज्य साझेदारी कार्यक्रम | | 148 |
| 7. आंगनबाडी केन्द्र भवन निर्माण | | 148 |
| 8. किसान सेवा केन्द्र | | 148 |
| 9. जनता जल योजना | | 149 |
| 10. विकेन्द्रीकृत जिला आयोजना | | 149 |
| 11. ग्राम पंचायत विकास योजना | | 150 |
| 12. पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार | | 150 |
| 12.1 दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार | | 150 |
| 12.2 नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार | | 151 |
| 12.3 ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार | | 151 |
| 13. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान | | 151 |
| 14. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) | | 151 |
| जल ग्रहण एवं भू–संरक्षण | | 156 |
| **परिशिष्ट** | | |
| **ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज** | | |
| ग्रामीण विकास की राज्य स्तरीय प्रशासनिक संरचना | **परिशिष्ट–1** | 165 |
| पंचायती राज की राज्य स्तरीय प्रशासनिक संरचना | **परिशिष्ट–2** | 166 |
| ग्रामीण विकास की जिला स्तरीय प्रशासनिक संरचना | **परिशिष्ट–3** | 167 |
| पंचायती राज की जिला स्तरीय प्रशासनिक संरचना | **परिशिष्ट–4** | 168 |
| पंचायत समिति स्तरीय प्रशासनिक संरचना | **परिशिष्ट–5** | 169 |
| ग्राम पंचायत स्तरीय प्रशासनिक संरचना | **परिशिष्ट–6** | 170 |
| ग्रामीण विकास मुख्यालय स्तर पर स्वीकृत/रिक्त पदों की सूचना | **परिशिष्ट–7** | 171 |
| पंचायती राज मुख्यालय स्तर पर स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों की सूचना | **परिशिष्ट–8** | 172 |
| प्रगति विवरण (दिसम्बर, 2018) | | 173 |

# ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

## पृष्ठभूमि

- देश के चहुंमुखी विकास के लिये ग्रामीण क्षेत्र का विकास होना नितान्त आवश्यक है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये स्वतंत्रता प्राप्ति के तीसरे दशक से ही ग्रामीण क्षेत्र के योजनाबद्ध विकास ने नया मोड़ लिया और अति पिछड़े तथा गरीबी से ग्रस्त परिवारों को सीधे लाभ पहुँचाने की दिशा में प्रयास किये गये, लेकिन राज्य में ग्रामीण विकास को और अधिक प्राथमिकता एवं विशेष महत्व देते हुए वर्ष 1971 में विशिष्ठ योजना संगठन की स्थापना की गई। वर्ष 1979 में पुनर्गठन के साथ–साथ इसका कार्य क्षेत्र बढ़ाकर इसे ''विशिष्ठ योजनाऐं एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग'' का नाम दिया गया। 1 अप्रेल, 1999 से इस विभाग का नाम **"ग्रामीण विकास विभाग"** किया गया। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित अधिकांश योजनाओं का क्रियान्वयन जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। अतः जिला स्तर पर समन्वय हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का जिला परिषद् में विलय करते हुये मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अधीन ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ का गठन किया गया। इसी तरह राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने एवं कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन के उद्देश्य से ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग का विलय किया गया है। वर्तमान में इस विभाग का नाम **"ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग"** है।
- ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधीन समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के माध्यम से किया जा रहा है।

## ग्रामीण विकास

**विभाग द्वारा वर्ष 2018–19 में क्रियान्वित योजनाओं का उद्देश्य वार संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–**

### (अ) स्वरोज़गार द्वारा गरीबी उन्मूलन

- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.)
- पश्चिमी राजस्थान गरीबी शमन परियोजना (एमपॉवर)

(ब) **रोज़गार सृजन द्वारा गरीबी निवारण**

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना

(स) **क्षेत्रीय विकास द्वारा "गरीबी एवं क्षेत्रीय असंतुलन" निवारण**

- सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम
- डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम
- मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम
- मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम

(द) **ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत संरचना कार्य**

- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन
- विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम
- मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना
- गुरू गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना
- स्व–विवेक जिला विकास योजना
- श्री योजना

(य) **गरीब/शोषित हेतु कल्याण योजनाऐं**

- प्रधान मंत्री आवास योजना–ग्रामीण

(र) **अन्य**

- डी.आर.डी.ए. प्रशासन योजना
- बायोफ्यूल प्राधिकरण–राजस्थान

## वर्ष 2018–19 के अभिनव प्रयास एवं मुख्य उपलब्धियाँ

- ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर करने एवं रोजगार की स्थिति को बेहतर बनाने के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में अनेक नए कार्यक्रमों की शुरूआत की गई है। पूर्व के कार्यक्रमों को संशोधित कर उन्हें और अधिक प्रभावशील बनाने तथा विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी बढ़ाने हेतु प्रयास किये गये हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण विकास हेतु अधिकतम संसाधन उपलब्ध कराकर ग्रामीण अंचलों में जन सुविधाओं का विस्तार, रोजगार के अधिकतम अवसर एवं गरीब परिवारों के

आर्थिक स्तर में सुधार लाने हेतु अनवरत प्रयास किये जा रहे हैं। प्रत्येक कार्यक्रम की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियाँ मय मुख्य परिवर्तनों एवं परिवर्धनों से सम्बन्धित कार्यक्रम के विवरण में दी गई हैं। यहाँ वर्ष 2017–18 में किये गये उन अभिनव प्रयासों एवं मुख्य उपलब्धियों का विवरण दिया जा रहा है, जिनके फलस्वरूप विकास की प्रक्रिया में अनेक गुणात्मक एवं क्रियात्मक सुधार किये गये हैं और उनके निरन्तर अच्छे परिणाम दृष्टिगोचर हो रहे हैं।

- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना 1 अप्रैल 2008 से राज्य के सभी जिलों में लागू की गई है। वर्ष 2009–10 में 2, अक्टूबर, 2009 से इस योजना का नाम **"महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना"** कर दिया गया है।
- महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के तहत माह नवम्बर, 2018 तक 3902.59 करोड़ रूपये के व्यय से 1549.82 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन किया गया है।
- सभी को आश्रय–2022 के मद्देनजर 01 अप्रेल, 2016 से इन्दिरा आवास योजना को सुदृढ़िकृत कर इसके स्थान पर प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण प्रारम्भ की गई है। योजना के अन्तर्गत निर्माण सहायता की अधिकतम सीमा रू. 1.20 लाख है। राजस्थान राज्य के सभी जिलों में नवीन आवास निर्माण हेतु रू. 1.20 लाख की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
- उक्त निर्धारित अनुदान सहायता के अतिरिक्त महात्मा गाँधी नरेगा के अन्तर्गत 90 अकुशल मानव दिवस की अधिकतम राशि रू. 17,280 देय है एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अन्तर्गत शौचालाय निर्माण हेतु अनुदान राशि रू. 12,000/– देय है। इस प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के लाभार्थी को आवास निर्माण हेतु रू. 1,49,280/– की सहायता प्रदान की जा रही है।
- इच्छुक लाभार्थी को राष्ट्रीयकृत बैंक से रू. 70,000/– का ऋण भी उपलब्ध कराने का प्रवधान एवं मैसन प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध है।
- वर्ष 2018–19 में योजनान्तर्गत नए आवासों के लक्ष्य के विरूद्ध माह नवम्बर, 2018 तक 1,83,788 आवासों का निर्माण कराया गया है।
- माननीय सांसदों द्वारा अपने क्षेत्र की आवश्यकतानुसार विकास कार्य करवाये जाने हेतु क्रियान्वित सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में माह नवम्बर, 2018 तक 101.44 करोड़ रूपये के व्यय से सामाजिक एवं आधारभूत सुविधाओं के 1709 कार्य पूर्ण कराये गये हैं।

- सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2018–19 में माह नवम्बर, 2018 तक 94.31 करोड़ रूपये के व्यय से 665 विकास कार्य कराये गये हैं।
- माननीय विधायकों द्वारा अपने क्षेत्र की आवश्यकतानुसार विकास कार्य करवाये जाने हेतु क्रियान्वित विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में माह नवम्बर, 2018 तक 299.98 करोड़ रूपये के व्यय से सामाजिक एवं आधारभूत सुविधाओं के 7244 कार्य पूर्ण कराये गये हैं।
- दस्युओं से प्रभावित डांग क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास एवं रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से राज्य के 8 जिलों यथा सवाईमाधोपुर, करौली, कोटा, बून्दी, बारां, धौलपुर, भरतपुर एवं झालावाड़ में क्रियान्वित डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत वर्ष 2018–19 में माह नवम्बर, 2018 तक 39.60 करोड़ रूपये के व्यय से 556 कार्य पूर्ण कराये गये हैं।
- 5 जिलों यथा राजसमन्द, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ जिले की 16 पंचायत समितियों में क्रियान्वित मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में वर्ष 2018–19 में माह नवम्बर, 2018 तक योजना के तहत 21.31 करोड़ रूपये के व्यय से 511 कार्य पूर्ण कराये गये हैं।
- राज्य के 2 मेव बाहुल्य जिलों यथा अलवर जिले की 8 मेव बाहुल्य पंचायत समितियों (लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, तिजारा, मुण्डावर, किशनगढ़ बास, कठूमर, उमरेण एवं कोट कासिम) एवं भरतपुर जिले की 4 पंचायत समितियों (नगर, डीग, कामां एवं पहाड़ी) में क्रियान्वित मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में वर्ष 2018–19 में माह नवम्बर, 2018 तक योजना के तहत 27.60 करोड़ रूपये के व्यय से 867 कार्य पूर्ण कराये गये हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में विकास एवं रोजगार सृजन तथा सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण एवं रख–रखाव में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए **'गुरू गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना"** वर्ष 2014–15 से माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट भाषण में की गई घोषणा के क्रम में लागू की गई है। वर्ष 2018–19 में माह नवम्बर, 2018 तक योजना के तहत 73.68 करोड़ रूपये के व्यय से 765 कार्य पूर्ण कराये गये हैं।
- विभाग द्वारा आई. डब्ल्यू. एम. एस. सॉफ्टवेयर लागू किया गया है, जिसके द्वारा विभिन्न योजनाओं की प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जाती हैं। आई. डब्ल्यू. एम. एस. सॉफ्टवेयर में योजनाओं से सम्बंधित खर्चे, उपयोगिता प्रमाण पत्र, पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जाते हैं एवं पूर्ण कार्यों की प्रविष्टि परिसम्पत्ति रजिस्टर में की जाती है।

- राज्य सरकार द्वारा जोधपुर सम्भाग के 6 जिलों में अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (I.F.A.D.) की सहायता से पश्चिमी राजस्थान गरीबी शमन परियोजना Mitigating Poverty in Western Rajasthan (MPoWeR) परियोजना स्वीकृत की गयी। राजीविका के दो ब्लॉक को भी वर्ष 2018–19 में सम्मिलित किया गया। इस परियोजना से 215 ग्राम पंचायतों के 1055 ग्रामों में से 5184 स्वयं सहायता समूहों, 447 ग्राम संगठन एवं 16 फैडरेशन्स का गठन कर चौरासी हजार निर्धन परिवारों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर लाभान्वित किया गया। यह परियोजना जून, 2018 में समाप्त हो गयी है।

- **"मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना"** वर्ष 2014–15 में राज्य में लागू की गई है। योजना का उद्देश्य निर्धारित ग्राम पंचायतों के समग्र विकास में मददगार प्रक्रियाओं में तेजी लाने एवं आबादी के सभी वर्गों के जीवन स्तर और जीवन गुणवत्ता में सुधार लाना है। योजना में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रतिवर्ष एक आदर्श ग्राम पंचायत विकसित की जायेगी। योजना के लिए संसाधन केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं से कन्वर्जेंस, एमपी/एमएलए स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, कॉरपोरेट सोशियल रेस्पोन्सिबिलिटी फंड (सीएसआर), जनभागीदारी एवं राज्य सरकार की ओर से योजना के लिए आवंटित फंड से जुटाये जायेंगे।

- माननीय मुख्यमंत्री महोदया के निर्देश एवं बजट घोषणा वित्तीय **वर्ष 2014–15** की अनुपालना में मंत्रीपरिषद आज्ञा **29/2014** दिनांक **28.02.2014** के अनुमोदन उपरान्त दिनांक **04.03.2014** को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा राज्य में "श्री" योजना लागू करने हेतु विभागीय आदेश जारी किये गये।

- दिनांक 11 अक्टूबर, 2014 को ग्राम स्वराज की संकल्पना को साकार करने हेतु **"सांसद आदर्श ग्राम योजना"** को राज्य में लागू किया गया है।

- दिनांक 21 फरवरी, 2016 को भारत सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का शुभांरभ किया, जिसका उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक, वास्तविक अवसंरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था करके फॉरवर्ड ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है।

- **"श्री (S.H.R.E.E.) योजना के तहत Sanitation- ग्रामीण स्वच्छता, शौचालय निर्माण व तरल एवं ठोस कचरा प्रबन्धन Health - स्वास्थ्य व स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता Rural Connectivity- गाँव की आन्तरिक सड़कें मय नाली निर्माण एवं अप्रोच रोड़ Education- शिक्षा, चिकित्सा की सुविधाऐं Energy- ग्रामीण क्षेत्र में रोशनी की व्यवस्था"** आदि **5** मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र का जनसंख्या के आधार पर चरणबद्ध समग्र विकास किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है।

- आवास योजना के प्रत्येक लाभार्थी को आवास अधिकार कार्ड उपलब्ध करवाये गये हैं, जिसमें लाभार्थी को देय समस्त लाभों की जानकारी व शिकायत निवारण हेतु सम्पर्क नम्बर उपलब्ध करवाया गया है।
- योजनान्तर्गत सभी श्रेणी में 3 प्रतिशत विकलांग पात्र परिवारों एवं पात्र अल्पसंख्यकों की श्रेणी में 15 प्रतिशत लक्ष्यों की सीमा में इनको लाभान्वित करने हेतु आईएवाई की स्थाई प्रतीक्षा सूची की वरीयता में शिथिलता प्रदान की गयी है।
- पंजीकरण व शिकायतों के निवारण हेतु राज्य स्तर पर (मो. 9116057308) व सभी जिला स्तर पर वाट्सअप/एसएमएस सुविधा प्रारम्भ की गयी।
- अधिक लक्ष्य वाले जिलों के स्थानीय समाचार पत्रों में उक्त नम्बर के साथ समय–समय पर अपील जारी की गयी।
- अपूर्ण आवास एवं योजना के लाभ से वंचित परिवारों से समाचार पत्रों के माध्यम से नामजद अपील द्वारा अनुरोध किया गया।
- लाभार्थियों को समय पर निर्माण कार्य कराने व समय पर अनुदान राशि प्राप्ति में सहायता हेतु ग्राम स्तर पर आवास सहायक का नियोजन किया गया।
- पंचायत समिति से स्वीकृत भामाशाह व PFMS के माध्यम से सीधे राशि हस्तान्तरित की गयी।
- राजीविका परियोजना के अन्तर्गत आजीविका संवर्धन विकास कार्यक्रम में 12 जिलों में 72893 गरीब परिवारों के साथ बकरी पालन एवं डेयरी कलस्टर विकास कार्य क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- राजीविका परियोजना के अन्तर्गत कृषि आधारित कलस्टर विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 14 जिलों में फसलों के विकास हेतु 49790 गरीब परिवारों के साथ तथा 10 जिलों में सब्जियों की पैदावार की नई तकनीकों से जोड़ने हेतु 11790 गरीब परिवारों के साथ कार्य किया जा रहा है।
- बैंक मित्र योजना एम–पॉवर परियोजना के अंतर्गत जहाँ पर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर बैंक मित्र लगाकर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं।
- राज्य स्तर पर विभाग में कार्यरत वरिष्ठ अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिलों का नियमित दौरा करने की व्यवस्था लागू की गई है। अधिकारियों को आवंटित जिलों में प्रत्येक माह में एक बार क्षेत्रीय निरीक्षण आवश्यक किया गया है। इसी प्रकार जिला स्तर एवं पंचायत समिति स्तर पर पदस्थापित विभागीय अधिकारियों के भी क्षेत्र निरीक्षण हेतु प्रावधान किया गया है। मुख्यालय के अधिकारियों एवं जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी

अधिकारियों से प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट में कार्यक्रम के तहत पायी गई कमियों एवं आवश्यक सुझावों को ध्यान में रखते हुए नीतिगत निर्णय लिये जाकर सम्बन्धित जिलों को आवश्यक निर्देश दिये जाते हैं।

- विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों एवं उनकी उपलब्धियों की जानकारी आमजन को उपलब्ध कराने हेतु विभागीय वेबसाईट **www.rdprd.gov.in** पर विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की मार्ग–दर्शिका, महत्वपूर्ण परिपत्र/आदेश, प्रगति आदि की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है।
- मुख्यालय पर महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा हेतु प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में समय–समय पर बैठकें आयोजित करने से महत्वपूर्ण मुद्दों के निस्तारण में तेजी आयी है।

## उपलब्धियां – एक नजर में

- रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के तहत विभाग जहां एक ओर केन्द्र सरकार से अधिकतम संसाधन प्राप्त करने के लिए निरन्तर प्रयासरत है, तो वही दूसरी ओर क्षेत्रीय विषमताओं व असन्तुलन को दूर करने तथा जनता की भागीदारी के साथ गाँवों में आर्थिक विकास हेतु सुदृढ़ आधारभूत संसाधनों का सृजन करने के लिए राज्य सरकार से राशि जुटा रहा है।
- वर्ष 2017–18 में विभाग की विभिन्न योजनाओं में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से कुल 1119.25 करोड़ रुपये प्राप्त किये गये हैं। कुल उपलब्ध राशि 2080.32 करोड़ रूपये के विपरीत कुल 1034.00 करोड़ रुपये व्यय किये गये, जो कुल उपलब्ध राशि का 49.70 प्रतिशत है।
- इसके अतिरिक्त महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना में वर्ष 2017–18 में 5137.73 करोड़ रूपये की राशि व्यय कर 2397.74 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन किया गया है।
- वर्ष 2018–19 में माह नवम्बर, 2018 तक विभिन्न केन्द्र एवं राज्य प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से कुल 404.83 करोड़ रूपये की प्राप्तियों सहित कुल उपलब्ध राशि 1195.11 करोड़ रूपये के विपरीत 660.42 करोड़ रूपये व्यय किये गये हैं।
- इसके अतिरिक्त महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना में वर्ष 2018–19 में माह नवम्बर, 2018 तक 3902.59 करोड़ रूपये की राशि व्यय कर 1549.82 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन किया गया है।
- वर्ष 2018–19 में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत 2,13,204 के लक्ष्यों के विरूद्ध 2,11,159 आवासों की स्वीकृति जारी की गई। माह नवम्बर, 2018 तक प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण अन्तर्गत 1,83,788 आवास पूर्ण कराये गये।

# अरावली
## (एसोशियेशन फॉर रूरल एडवांसमेंट थ्रू वॉलेन्टरी एक्शन एण्ड लोकल इन्वॉल्वमेंट)

**स्थापना का उद्देश्य** :– अरावली की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 1994 में बजटीय घोषणा के तहत् सरकार और गैर सरकारी (स्वैच्छिक संगठनों) के बीच साझेदारी को सशक्त करने एवं राज्य में सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य हेतु की गई।

**कार्यव्यवस्था** :– अरावली का पंजीकरण 23 जुलाई 1994 को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अंतर्गत किया गया। वर्तमान में अरावली का प्रशासनिक विभाग ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग है। **अरावली के अध्यक्ष माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार हैं। संस्था की कार्यकारिणी समिति, शासकीय परिषद एवं साधारण सभा में राजस्थान सरकार के वित्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, आयोजना, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, कृषि, वन एवं पर्यावरण एवं शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव भी पदेन सदस्य हैं।** अरावली की साधारण सभा में राजस्थान सरकार के पदाधिकारियों के अतिरिक्त 36 गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी पदेन सदस्यों के रूप में शामिल हैं।

अरावली की सोच है कि राज्य में समुदायों के चहुँमुखी और व्यापक विकास के लिए ऐसे साझे प्रयासों एवं अभिगमों की आवश्यकता है जो किसी एक ही संस्था या प्रणाली द्वारा संभव नहीं है। विकास कार्य का लाभ सभी लोगों, विशेषकर गरीब एवं वंचित लोगों तक पहुँचे, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि विकास के क्षेत्र में कार्यरत सभी व्यक्ति एवं संस्थाऐं परस्पर साझेदारी से कार्य करें।

इस संदर्भ में अरावली का यह ध्येय है कि राजस्थान के प्रत्येक जिले में आवश्यकतानुसार, पर्याप्त संख्या में प्रभावी स्वैच्छिक संस्थाएं हो, जो पिछड़े व वंचित समुदाय के साथ व उनके लिए जमीनी स्तर पर कार्य करें। साथ ही, अरावली ऐसे अनुकूल वातावरण का निर्माण करने हेतु प्रयासरत है जिसमें सरकार एवं स्वैच्छिक संस्थाऐं अपनी–अपनी शक्तियों व अनुभवों को जोड़कर, राज्य के विकास कार्य में साझेदार बन सकें तथा स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से सरकार के विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों को आम लोगों के समक्ष प्रभावी रूप से क्रियान्विति में अपना सहयोग प्रदान कर रही है।

राजस्थान राज्य के विकास में अरावली ने अपना वृहद योगदान दिया है, वह पिछले 20 वर्षों से ग्रामीण विकास, जल संसाधन, कृषि एवं पशुपालन प्रबंधन व विकास, स्वास्थ्य, राज्य में स्वैच्छिक संस्थाओं का क्षमतावर्धन तथा गरीब परिवारों को सरकारी कार्यक्रमों से जुड़ाव आदि के क्षेत्र में बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। अरावली ने राज्य में कुल 150 से अधिक गैर सरकारी संगठनों का

सशक्तिकरण कर उपरोक्त क्षेत्रों में योगदान दिया है। इस कार्य में अरावली को विभिन्न दानदाता संगठनों ने अपना आर्थिक सहयोग दिया है जिनमें प्रमुख है : केन्द्र एवं राजस्थान सरकार, विश्व बैंक, आगा खॉ फाउण्डेशन, सर रतन टाटा ट्रस्ट, यूनीसेफ, यू.एन.डी.पी., पॉल हेमलिन फाउण्डेशन, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट आदि।

**अरावली के प्रमुख उद्देश्य हैं** :–

1. सरकार व गैर सरकारी संगठनों के मध्य साझेदारी को प्रोत्साहित करना।
2. राज्य में स्वैच्छिक संस्थाओं एवं सरकारी एवं विभागीय कार्मिकों का क्षमतावर्धन विभिन्न प्रशिक्षणों एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से करना।
3. ग्रामीण विकास के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु परियोजनाओं का निर्माण, क्रियान्वयन, परियोजनाओं का मूल्यांकन व प्रबोधन कार्य करना।
4. ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु उचित प्रोद्योगिकी का अनुसंधान कर पहचान करना व स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से पायलट करना।
5. स्वैच्छिक प्रयासों और स्थानीय भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण विकास हेतु समग्र रणनीति व दृष्टिकोण को मजबूत करना।
6. ग्रामीण विकास के क्षेत्र में हुई प्रभावी प्रयासों का दस्तावेजीकरण करना व राज्य के प्रमुख स्टेक होल्डर के समक्ष रखना।
7. सरकारी एजेंसियों और स्वंयसेवी संस्थाओं के मध्य साझेदारी व संवाद को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार, कार्यशालाओं, बैठकों का संचालन व प्रयोजन करना।

**विशेषता–** अरावली ने राज्य में कुल 150 से अधिक स्वंयसेवी संगठनों की क्षमतावर्धन किए हैं जो राजस्थान के ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहें हैं। अरावली ने पिछले 20 वर्षों से ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन के तहत् गरीब परिवारों की आजीविका संवर्द्धन व सरकार के कार्यक्रमों व योजनाओं से जुड़ाव का कार्य, कृषि, जल संसाधन, स्वास्थ्य परियोजना, आदि के क्षेत्र में कार्य किए हैं। राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों में स्वंयसेवी संगठनों के जुड़ाव हेतु प्रयासरत है।

**अरावली के प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं**:–

1. **प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन कार्यक्रम** – प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रम आयोजित करना। राज्य में स्वैच्छिक संस्थाओं एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों का क्षमतावर्धन व प्रशिक्षण कार्य। विभिन्न विषयों पर जैसे ग्रामीण विकास, जल संसाधन, कृषि एवं पशुपालन प्रबंधन व विकास, स्वास्थ्य, गरीबी आंकलन, आजीविका संवर्धन, जल एवं स्वच्छता आदि पर प्रशिक्षण कार्यक्रम करना।

2. **मानवीय एवं संस्थागत विकास कार्यक्रम –**

- विभिन्न विषयों पर सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के कार्मिकों में प्रबन्धन कौशल बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- सूचना का आदान प्रदान व परस्पर ज्ञान बांटना।
- प्रबन्धन, क्रियाकलापों व शोध के लिए दक्ष सहायता उपलब्ध करवाना।
- स्वैच्छिक संगठनों एवं विकास कार्य से जुड़े संस्थाओं के मध्य सूचनाओं को पहुँचाने हेतु 'अरावली विकास फीचर सेवा' का संकलन कर तकरीबन 350 से अधिक संस्थाओं तक प्रेषित करना।

3. **अनुसंधान एवं ज्ञान (नॉलेज बिल्डिंग)** विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के गरीब समुदायों हेतु आजीविका संवर्धन करना व सरकारी योजनाओं के साथ जुड़ाव, नवाचार प्रयासों को प्रोत्साहित कर दस्तावेजीकरण करना।

- अच्छे अनुभवों व सीख का दस्तावेजीकरण एवं प्रचार–प्रसार।
- विभिन्न विकास के कार्यक्रमों का मूल्यांकन, प्रबोधन एवं योजनाओं के प्रभावी आंकलन कार्य करना। अरावली ने भारत सरकार, राजस्थान सरकार व अन्य संगठनों हेतु आंकलन कार्य किए हैं।
- अध्ययन, शोध एवं नवाचार कार्य।
- अरावली ने ग्रामीण विकास से जुड़े विषयों पर शोध एवं अध्ययन कार्य किए हैं विशेषकर वर्षा आधारित कृषि, जलग्रहण विकास कार्यक्रम, पशुपालन, वानिकी, समुदाय आधारित लघुवित्त कार्यक्रम, तथा राज्य में आजीविका के क्षेत्र में शोध कार्य आदि।
- अरावली ने कृषि विभाग हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 8 जिलों के 54 ब्लाक एवं 54 ग्राम पंचायतों हेतु विकेन्द्रिकृत नियोजन कार्य किए हैं। तथा राज्य के सभी जिलों के कृषि अधिकारियों हेतु नियोजन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।
- अरावली ने राजस्थान में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों का डेटा बेस प्रबंधन कार्य किए हैं।

4. **सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों के मध्य साझेदारी को सशक्त करना–**

- राज्य एवं जिले स्तर पर इंटरफेस कार्यशाला (संवाद बैठक) का आयोजन करना।
- स्वैच्छिक संगठनों, सिविल सोसायटी एवं उपभोक्ता मंच के साथ बजट पूर्व संवाद बैठक (प्री–बजट संवाद बैठक) माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रत्येक वर्ष आयोजित करना।
- राज्य में कई विषयों को लेकर राज्य स्तरीय फोरम का गठन एवं संचालन करना।
- राज्य में गैर सरकारी संगठनों का आंकलन तथा सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन कार्य राज्य एवं केन्द्र सरकार हेतु करना।

**वर्तमान में अरावली निम्न परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है:–**

1. **राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्द्धात्मक परियोजना :–**

यह परियोजना जो कि विश्व बैंक की सहायता से विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में लगभग 10–31 हजार हैक्टर के क्लस्टर्स (गाँवों का समूह) का चयन कर कुल 17 क्लस्टर्स में 2.75 लाख हैक्टर क्षेत्र में कृषि एवं सम्बंधित क्षेत्र में उत्पादकता को विकसित किया जायेगा। अरावली इस परियोजना में पार्टनर एजेन्सी के तौर पर विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षण व क्षमतावर्धन कार्यक्रम आयोजित करने का कार्य 2017–18 तक कर रही थी। क्षमता वर्द्धन व प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत् अरावली द्वारा 17 क्लस्टर्स में 3500 से अधिक किसानों हेतु लगभग 90 जागरूकता कार्यक्रम क्लस्टर्स एवं ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किए गए हैं।

- अरावली द्वारा किसानों की सूचनाओं को एकत्रित करने हेतु ऑनलाईन बेसलाईन प्रपत्र तैयार करवाया गया जिससे 17 क्लस्टरों से 50000 किसानों की सूचनाओं को क्लस्टर स्तर से ही ऑनलाईन सूचनाऐं भरी गई जिसके आधार पर परियोजना अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का नियोजन किया गया।
- अरावली द्वारा मोखमपुरा क्लस्टर में किसान समूहों हेतु एक फारमर प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्टर्ड करवाया गया। इस कंपनी के माध्यम से किसान अपने कृषि उत्पाद को विभिन्न कंपनियों को बेचान कर सकता है।
- आर.ए.सी.पी. परियोजना का हिन्दी में विभिन्न प्रकार के कृषि, पशुपालन, जलग्रहण, बागवानी, भूजल व जल संसाधन सम्बंधित पोस्टर्स भी प्रकाशित किये गये हैं।

2. **कंवरजेन्स प्लान के तहत् महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत् अपना खेत अपना काम –**

- अरावली द्वारा राजीविका के साथ हुए एमओयू एवं कंवरजेन्स प्लान 2016–17 एवं 2017–18 के तहत् 20 जिले (उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़,

कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, अलवर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, राजसमंद, पाली, करौली, झूंझूनू, बीकानेर, भीलवाड़ा और भरतपुर) के 58 ब्लाकों में 51920 स्वंय सहायता समूह सदस्यों का महात्मा गाँधी नरेगा योजना के तहत् अपना खेत अपना काम में आवेदन मंजूरी हेतु कार्य किया है एवं 16101 कार्यों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इसके तहत् लगभग 10000 कार्य शुरू हो चुके हैं।

- अरावली द्वारा कुल 340 महिला स्वंय सहायता समुहों से चयनित सीआरपी (सामुदायिक संदर्भ व्यक्ति) को प्रशिक्षित किया है। इन सीआरपी के प्रशिक्षण हेतु दो चरणों में 15 दिवसीय एवं 3 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

**3. स्वैच्छिक संगठन, सिविल सोसायटी एवं उपभोक्ता मंच के साथ बजट पूर्व राज्य स्तरीय संवाद बैठक–**

अरावली द्वारा ग्रामीण विकास विभाग को सहयोग करते हुए स्वैच्छिक संगठनों, सिविल सोसायटी एवं उपभोक्ता मंच के साथ बजट पूर्व संवाद बैठक माननीय मुख्यमंत्री महोदया की अध्यक्षता में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस वर्ष यह बैठक दिनांक 17 जनवरी 2018 को ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से मुख्यमंत्री कार्यालय सभागार, शासन सचिवालय, जयपुर में आयोजित की गई जिसमें राज्य स्तर से विभिन्न 24 स्वैच्छिक संगठन, सिविल सोसायटी व उपभोक्ता मंच के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर राज्य बजट हेतु अपने सुझाव प्रस्तुत किए।

**4. प्राकृतिक स्टोन क्षेत्र में बाल अधिकार संरक्षण को प्रोत्साहित करना –**

- यूनीसेफ, जयपुर के सहयोग से बूंदी कोटा क्षेत्र में खनन् क्षेत्रों में स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से बाल अधिकार संरक्षण हेतु कार्य कर रही है।
- साथ ही 200 खनन मजदूर परिवारों को सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों व योजनाओं से जुड़ाव का कार्य बुधपुरा, बुंदी जिले में कर रही है।
- राज्य स्तर पर एक साझा प्रयासों के अनुभवों का आदान प्रदान करने के लिए राज्य स्तरीय फोरम भी स्थापित किया गया है जिनमें स्वंयसेवी संगठन, ट्रेड यूनियन, रिसर्च एजेन्सी एवं यूनीसेफ के प्रतिनिधि जुड़कर नियमित बैठकें आयोजित कर खनन मजदूरों के परिवारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, आजीविका संवर्द्धन आदि पर कार्य कर रही है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय अनुभवों एवं सीख का आदान–प्रदान करना व अपने क्षेत्रों में गरीब परिवारों को सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों से जोड़ने हेतु कार्य करना है।

- अरावली द्वारा खनन मजदूरों के बच्चों के समक्ष आ रही चुनौतियों एवं जोखिम हेतु 4 विभिन्न खनन क्षेत्रों में एक रिसर्च कार्य कर चुनौतियों को संकलित किया है। साथ ही जयपुर जिले में बच्चों के जोखिम मानचित्रण हेतु विभिन्न उद्योगों में आ रही चुनौतियों का भी संकलन किया गया है।

5. **अरावली द्वारा यूनीसेफ, जयपुर के सहयोग से महिलाओं हेतु ''माहवारी में स्वच्छता प्रबंधन''–**

- राज्य स्तर पर सुगमकर्ताओं हेतु माहवारी में स्वच्छता प्रबन्धन पर प्रशिक्षण हेतु सुगमकर्ता मार्गदर्शिका व साथ ही किशोरियों हेतु माहवारी स्वच्छता पर जानकारी पुस्तिका का भी निर्माण किया गया। इस मार्गदर्शिका के निर्माण हेतु राज्य के स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाओं एवं महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार का भी सहयोग लिया गया।
- राज्य स्तर पर 30 से अधिक सुगमकर्ताओं का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित की गई।
- अरावली द्वारा यूनीसेफ, जयपुर हेतु उनके द्वारा चयनित बाड़मेर जिले में जिला प्रशासन एवं स्वैच्छिक संगठनों के साथ स्टेकहोल्डर कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। साथ ही बाड़मेर जिले में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों का डेटाबेस एवं विकास संबंधित संसाधन चित्रण कार्य भी किया गया।

6. **सर रतन टाटा ट्रस्ट व कोपन हेगन कंसेन्सस सेन्टर हेतु राजस्थान की विकास प्राथमिकताएं हेतु विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन –**

- राजस्थान प्रायोरिटिज इनिशियेटिव के तहत् अरावली ने कृषि व खाद्य सुरक्षा, जनजातीय विकास एवं गरीबी उन्मूलन पर 3 कार्यशालाओं का आयोजन जयपुर एवं उदयपुर में किया गया। जिनमें करीब 150 से अधिक सरकारी वं गैर सरकारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

7. अरावली द्वारा चोलामण्डलम मुरूगुप्पा समुह के सहयोग से **''अरावली–चोलामण्डलम ट्रक चालक समुदाय (ड्राईवर व क्लीनर) आजीविका सशक्तिकरण परियोजना''** संचालित की जा रही है–

उक्त परियोजना अंतर्गत अरावली द्वारा राज्य में कुल 7441 ट्रक ड्राईवरों व क्लीनरों अंतर्गत स्वास्थ्य कैम्प आयोजित कर विशेषकर आंखों की जांच की गई। साथ ही परियोजना अंतर्गत 3483 ट्रक ड्राईवर व क्लीनरों को चश्मा भी वितरित किए गए।

अभी तक स्वास्थ्य शिविर कैम्पों का आयोजन कोटा, पाली, अजमेर, अलवर एवं चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में आयोजित की गई है। भविष्य में चोलामण्डलम समुह के सहयोग से ट्रक ड्राईवरों के परिवारों की वैकल्पिक आजीविका सुनिश्चित करने हेतु आजीविका संवर्धन परियोजना की जाएगी एवं ट्रक ड्राईवरों की आंखों की जांच हेतु स्थाई आंख जांच केन्द्र की स्थापना की जाएगी ताकि ट्रक ड्राईवरों द्वारा सुरक्षित ड्राईविंग तकनीकी को अपनाया जा सके एवं सड़क दुर्घटना में कमी आए।

**नवीनतम योजना** – अरावली द्वारा प्रतिवर्ष 50 स्वंयसेवी संगठनों एवं राज्य के विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कार्मिकों हेतु प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन कार्यक्रम करने हेतु अरावली ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संदर्भ केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य है। इस हेतु ग्रामीण विकास विभाग के तहत् बजटीय प्रावधान प्रशिक्षण केन्द्र निर्माण हेतु किया जावे।

साथ ही अरावली, यूनीसेफ के सहयोग से राज्य में ग्राम पंचायत स्तर से आयोजना प्रक्रिया को सशक्त करने हेतु भी आगामी वर्षों में कार्य करेगी। इस माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर की आयोजना प्रक्रिया में आधारभूत विकास के साथ–साथ महिलाओं व बच्चों के मुद्दों को सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है ताकि राज्य में मॉडल ग्राम पंचायतों को तैयार किया जा सके।